CFS

रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-31072020-220805
CG-DL-W-31072020-220805

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 22] नई दिल्ली, जुलाई 19—जुलाई 25, 2020, शनिवार /आषाढ़ 28—श्रावण 3, 1942
No. 22] NEW DELHI, JULY 19—JULY 25, 2020, SATURDAY/ASADHA 28—SRAVANA 3, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय)

नई दिल्ली, 8.जुलाई, 2020

सा.का.नि. 103.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, (निदेशक न्याय संबंधी विज्ञान/मुख्य न्याय संबंधी वैज्ञानिक) भर्ती नियम 1985 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय और इनकी दूरस्थ इकाइयों में निदेशक – सह - मुख्य न्यायालयिक वैज्ञानिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय, निदेशक – सह - मुख्य न्यायालयिक वैज्ञानिक भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होगें।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनूसुची में स्तम्भ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.—** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनूसुची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.—** वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या

विवाह की संविदा की है; या ,

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इन नियमों के प्रवर्तन में छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.—** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए, आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
निदेशक - सह - मुख्य न्यायालयिक वैज्ञानिक	01 (2020)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर 14 (1,44,200/ - 2,18,200/- रु.)	चयन पद

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर **प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत** अल्पकालीन संविदा भी है)।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनमे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13(रु. 123100-215900/-) में गृह मंत्रालय के अधीन न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय, के केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के ऐसे निदेशक, जिन्होने उस श्रेणी में न्यूनतम 3 वर्ष नियमित सेवा की हो। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हों, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति:** (जिसके अंतर्गत अल्पकालीन संविदा भी है) केंद्रीय / राज्य सरकारों / संघ राज्यक्षेत्रों / स्वायत्त / सांविधिक संगठन / पब्लिक सेक्टर उपक्रमों / विश्वविद्यालयों / मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी: (क) (i) जो सदर्श पद धारण किए हुए हो; या (ii) जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 (क) (131100 - 216600/- रु.) में उस पद पर दो वर्ष सेवा की हो ; या **(iii) जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13** (123100-215900/- रु.) में नियमित	**समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमे निम्नलिखित होंगे-:** (i) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष; (ii) सचिव या अपर सचिव, गृह मंत्रालय - सदस्य; (iii) महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो -सदस्य।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतग्रत अल्पकालीन संविदा भी है) के आधार पर पद भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात तीन वर्ष सेवा की हो। और (ख) नीचे दी गयी शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हो (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन / भौतिकी / बॉटनी / जूलॉजी / बायो-केमिस्ट्री / न्यायालयिक विज्ञान / गणित / अनुप्रयुक्त भौतिकी/ जैव भौतिकी/व्यवहारिक गणित/ माइक्रोबायोलॉजी / बायोटेक्नोलॉजी / फिजिकल ऐन्थ्रपॉलजी / जेनेटिक्स / फार्माकोलॉजी / फार्मेसी/ मनोविज्ञान / अपराध विज्ञान / कंप्यूटर साइंस/ इलेक्ट्रॉनिक्स / मानव जेनेटिक्स में स्नातकोत्तर या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बायोटेक्नोलॉजी / सिविल / इलेक्ट्रिकल / मैकेनिकल /इलेक्ट्रॉनिक्स / टेलीकम्यूनिकेशन / कंप्यूटर साइंस / इंस्ट्रूमेंटेशन / कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसई) / इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग (ईसीई) / सूचना प्रौद्योगिकी (आइ. टी) / इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग (ईईई) में बेचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बी. टेक। (ii) जिनके पास न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला में न्यूनतम बारह वर्ष के कार्य करने का अनुभव सहित उपरोक्त विषयों में से किसी एक विषय में अठारह वर्ष का अनुसंधान, प्रशिक्षण और विश्लेषणात्मक अनुभव। **वाछनीय अर्हता**:(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समतुल्य से सुसंगत विषयों में डॉक्टरेट डिग्री। **टिप्पण 1**:पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ती में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2**: प्रतिनियुक्ति की अवधि, **(जिसके अंतर्गत अल्पकालीन संविदा भी** है) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी		

या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अंतर्गत अल्पकालीन संविदा भी है) साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3**: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. डीएफएसएस/38(1)/2012-प्रशा.]

नरेंद्र कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DIRECTORATE OF FORENSIC SCIENCE SERVICES)

New Delhi, the 8th July, 2020

G.S.R. 103.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Bureau of Police Research and Development (Director Forensic Science / Chief Forensic Scientist) Recruitment Rules,1985, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the president hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director-Cum-Chief Forensic Scientist in the Directorate of Forensic Science Services and its outlying units, namely:-

1. **Short title and commencement.—**

   (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Directorate of Forensic Science Services, Director –Cum- Chief Forensic Scientist Recruitment Rules, 2020.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**— The number of post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person, -

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing in consultation with Union Public Service **Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.**

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Director- Cum-Chief Forensic Scientist	01* (2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non- Ministerial	Level 14 (Rs. 1,44,200-2,18,200/-)	Selection post

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion failing which deputation (including short-term contract)

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Directors of the Central Forensic Science Laboratories under Directorate of Forensic Science Services, Ministry of Home Affairs, in level 13 (Rs. 123100-215900/-) of the pay matrix with a minimum of three years' regular service in the grade. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short-term contract):** Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or autonomous or statutory organisation or Public Sector Undertakings or Universities or recognised research institutes:	**Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** (i) Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman; (ii) Secretary or Additional Secretary, Ministry of Home Affairs -Member; (iii) Director General, Bureau of Police Research and Development -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for filling up the post on deputation (including short-term contract) basis.

(a) (i) holding analogous posts ; Or (ii) with two years' service in post in the level 13 A (Rs. 131100-216600/-) of the pay matrix; Or (iii) with three years service rendered after appointment to the post on a regular basis in the level 13 (Rs. 123100-215900/-) of the pay matrix: and (b) possessing the educational qualifications and experience as under: (i) Masters degree in Chemistry or Physics or Botany or Zoology or Bio-chemistry or Forensic Science or Mathematics or Applied Physics or Biophysics or Applied Mathematics or Microbiology or Biotechnology or Physical Anthropology or Genetics or Pharmacology or Pharmacy or Psychology or Criminology or Computer Science or Electronics or Human Genetics or B.E or B.Tech in biotechnology or Civil or Electrical or Mechanical or Electronics or Telecommunication or Computer Science or Instrumentation or Computer Science and Engineering (CSE) or Electronics and communications Engineering (ECE) or Information Technology or Electrical and Electronics Engineering (EEE) from a recognised university or Institute. (ii) eighteen years research, training and analytical experience in any one of the above subjects with a minimum twelve years of working experience in Forensic Science Laboratory. Desirable qualification: Doctorate degree in the relevant subjects from a recognised university or equivalent. Note-1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment on promotion. **Note-2:** The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily **not exceed five years.** Note-3: The maximum age-limit for		

appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-eight years' as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. DFSS/38(1)/2012-Admn.]

NARENDRA KUMAR, Under Secy.

(समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार)

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2020

सा.का.नि.104.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और वर्ग-III पद [समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार)] भर्ती नियम,1962 को, जहाँ तक उनका संबंध सवार हरकारा के पदों से है, का उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन, समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार) में सवार हरकारा (ग्रेड-I), सवार हरकारा (ग्रेड-II) और सवार हरकारा (साधारण ग्रेड) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार, सवार हरकारा (ग्रेड-I), सवार हरकारा (ग्रेड-II) और सवार हरकारा (साधारण ग्रेड), भर्ती नियम 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.**— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे ही होंगी, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो केन्द्रीय सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूत-पूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।